प्रेस नोट

दिनांक- 22.07.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गतअमेठी पुलिस द्वारामाननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 222/19 धारा 377, 323, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बाजारशुक्ल में अभियुक्त अली अहमद पुत्र इलियास नि0 पूरे धानी मजरे रस्तामऊ थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे-12 पाक्सो एक्ट सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 22.07.2022 को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपया के अर्थदंड से दण्डित किया गया अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 13.08.2019 को समय 17:20 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी के पुत्र के साथ अभियुक्त अली अहमद पुत्र इलियास नि0 पूरे धानी मजरे रस्तामऊ जनपद अमेठी द्वारा दुष्कर्म करने कि इस सूचना पर थाना बाजारशुक्ल में मु0अ0सं0 222/19 धारा 377, 323, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत करके विवेचना उ0नि0 श्री हवलदार राय द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्या ए-222 दिनांक 24.11.2019 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी।